राजस्थान सरकार
निदेशालय, कोष एवं लेखा, राज., जयपुर
"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर
(दूरभाष नं0:–0141–2740837,, फैक्स 0141–2742309, ई मेल:–jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांकः–एफ.4(ई)/(एम–194/92)/ अलेसे–III/159-169 दिनांक :– 27/01/23

आदेश संख्याः– 679/2022–23

श्री मोहम्मद उमर खां, कनि. लेखाकार (तत्कालीन कार्यालय सहायक निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, टोंक) को कत्ल के आरोप में धारा 302,452,341,323,504 आई.पी.सी. के अर्न्तगत दिनांक 09.12.2000 को गिरफ्तार किये जाने के फलस्वरूप विभागीय कार्यालय आदेश क्रमांक 50416–23 दिनांक 27.12.2000 के द्वारा निलम्बित किया गया था। अपर सैशन न्यायाधीश (फास्टटैक), टोंक के निर्णय दि. 25.02.2002 के द्वारा श्री खान को धारा 304 (II) में सात वर्ष का साधारण कारावास तथा एक हजार रूपयें के अर्थ दण्ड एवं धारा 323 में छः माह का साधारण कारावास व एक सौ रूपये का अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया था। माननीय अपर सैशन न्यायाधीश टोंक के द्वारा पारित आदेश दि. 25.02.2002 के विरूद्ध श्री खान के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर में अपील स. 301/2002 दायर की गई, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने दि. 21.03.2002 का आदेश पारित कर सजा स्थगित कर दी। तत्पश्चात माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दि. 13.01.2004 द्वारा दोष सिद्धि स्थगित कर दी गई थी, उक्त दाण्डिक अपील माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है।

माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर में दायर एस.बी.सिविल रिट पिटिशन संख्या 15120/2021 के निर्णय दिनांक 23.09.2022 में श्री उमर खां को निलम्बन से बहाल करने का निर्णय पारित किया गया, जिसके विरूद्ध विभाग द्वारा खण्डपीठ में दायर स्पेशल अपील संख्या 1317/2022 में माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर के निर्णय दिनांक 06.12.2022 से अपील खारिज की गयी है।

अतः माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा रिट याचिका संख्या 15120/2021 में पारित निर्णय दिनांक 23.09.2022 की अनुपालना में श्री मोहम्मद उमर खां को निलम्बन से बहाल किया जाकर पदस्थापन कार्यालय कोषालय, टोंक में किया जाता है। श्री मोहम्मद उमर खां के निलम्बन कालीन देय वेतन परिलाभों का भुगतान दाण्डिक अपील के अन्तिम निर्णय/माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर सिविल अपील के अन्तिम निर्णय के पश्चात् ही विचारित किया जायेगा।

(भूपेश माथुर)
निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांकः–एफ.4(ई)/(एम–194/92)/ अलेसे–III/159-169 दिनांक :– 27/01/23

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. कोषाधिकारी, टोंक।
3. उप विधि परामर्शी, कार्यालय हाजा को उनके यू.ओ.नोट क्रमांक 729 दिनांक 24.01.2023 के क्रम में।
4. उप निदेशक (एसीपी) कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं पीआईएस में प्रविष्टी करने हेतु।
5. श्री मोहम्मद उमर खां, कनिष्ठ लेखाकार, कार्यालय कोषालय, टोंक को पालनार्थ।
6. निजी सचिव, निदेशक महोदय।
7. जाँच शाखा/एसीआर शाखा/डीपीसी शाखा/पदस्थापन सीट।
8. रक्षित पत्रावली/निजी पत्रावली।

(के. जी. गुप्ता)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक–II/III)

G:\JRA,AAO-II old dealing data\letter.docx1093